रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग —खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 1975 आश्विन 4, 1897
No. 189] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 1975/ASVINA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है । जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th September 1975

SUBJECT.—*Import Policy for the licensing period April 1975—March 1976.*

No. 101-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the import policy as contained in the ITC Policy Red Book(Vol. I) for the period April 1975– March 1976.

2. The following amendments shall be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy Red Book (Vol .I) for the period April 1975—March 1976.

Page No. of the Red Book (Vol. I).	Reference	Details of amendments
1	2	3
7	Section I	Below paragraph 48, the following new paragraph 48 A may be deemed to have been inserted :— "48-A. It will be open to the sponsoring authorities to recommend licences for a maximum value of Rs. 10,000/- in cases in which the entitlement

1	2	3
		of the units on the basis indicated in para 48 above works out to less than Rs. 10,000/- and the sponsoring authorities consider that the issue of licences on the basis of entitlement (for value below Rs. 10,000/-) would render their production uneconomic and will create genuine difficulty. In the case of proposed units, this value limit in respect of half-yearly applications will be Rs. 5,000/-."
308	Section V, Appendix 46 Item No. 4- special grade PVC resin (for manufacture of PVC separators only).	The following revised entry shall be deemed to have been substituted :— "PVC resin used in the manufacture of battery separators will be licensed to actual user borne on the books of the DGTD on a restrictes basis, on the recommendations of the DGTD.d

B.D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर, 1975

विषय.—अप्रैल, 1975–मार्च, 1976 लाइसेंस अवधि के लिए आयात नीति ।

सं० 101-आई०टी०सी० (पी०एन०)/75.—अप्रैल, 1975–मार्च, 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक (वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

अप्रैल, 1975–मार्च, 1976 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेडबुक (वा० 1) में निम्नलिखित संशोधन उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

रेडबुक (वा० 1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
1	2	3
7	खंड I	कंडिका 48 के नीचे निम्नलिखित कंडिका 48ए को जोड़ा गया समझा जाए :— "48-ए प्रायोजक प्राधिकारियों को उन मामलों मे अधिक से अधिक 10,000 रुपय मूल्य के लिए लाइसेंस के लिए सिफारिश करने की स्वतंत्रता होगी जिनमे एककों की हकदारी उपर्युक्त कंडिका 48 मे संकेतित आधार पर 10,000 रुपये से कम की होती है और प्रायोजक प्राधिकारी समझते हैं कि हकदारी के आधार पर (10,000 रुपये मूल्य से कम) लाइसेंसों का निर्गमन उनके उत्पादन को अलाभकर बना देगा और इससे वास्तविक कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी । प्रस्तावित एककों के मामले में अर्ध वार्षिक आवेदनपत्रों के लिए यह मूल्य सीमा 5000 रुपये होगी ।"

1	2	3
308	खंड 5, परिशिष्ट 46 मद सं० 4— विशेष ग्रेड के पी वी सी रेजिन्स (केवल पी वी सी विभाजक के विनिर्माण के लिए)	निम्नलिखित परिशोधित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "बैटरी विभाजक के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले पी वी सी रेजिन्स के लिए उन वास्तविक उपयोक्ताओं को महानिदेशक तकनीकी विकास की सिफारिश पर प्रतिबंधता के आधार पर लाइसेंस दिए जाएंगे जो महानिदेशक तकनीकी विकास की पुस्तक में अंकित हैं।"

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1975